

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

पत्रांक: 1(43) राज.-6/16/52

जयपुर, दिनांक 25-6-18

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 खण्ड (ख) का उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प. 1(43) राज-6/16/33 दिनांक 24.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक (क-4) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 1(3) कार्मिक/क-4/2017, दिनांक 16.03.2018 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया है, को सहायक कलक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	फील्ड प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
1	संजय गौयल	भरतपुर
2.	आकांशा बैरवा	जोधपुर
3.	बिन्दु खत्री	बीकानेर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 25-6-18... प्रकाशन हेतु।
10. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
12. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव